भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः ब।5(डि) भ्र०नि०ब्यूरो/सामान्य/2006/51/554-618 दिनांकः 18-02-2006

-: विज्ञप्ति :-

सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-22)की धारा-4 की उप धारा (1) के अनुच्छेद (बी) के अन्तर्गत संलग्न विभागीय मैन्यूवल सर्व साधारण की जानकारी हेतु एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

विभागीय मैन्यूवल की प्रति ब्यूरों मुख्यालय एवं सभी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ओ.पी.) राजस्थान के अधिकारियों के कार्यालयों में सर्व साधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

महानिदेशक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ :-

1. प्रमुख शासन सचिव,गृह विभाग,राजस्थान,जयपुर।
2. महानिदेशक,राजस्थान पुलिस, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
3. माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम ....
4. महानिरीक्षक पुलिस,(प्रथम / द्वितीय) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर / उदयपुर / जोधपुर।
5. उप महानिरीक्षक पुलिस,(प्रथम / द्वितीय) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।
6. पुलिस अधीक्षक,(प्रथम / द्वितीय) भ्र.नि.ब्यूरो,जयपुर / कोटा / बीकानेर / भरतपुर एवं अजमेर।
7. समस्त अति० / उप अधीक्षक पुलिस,भ्र.नि.ब्यूरो,...............................
8. सहायक लेखाधिकारी,भ्रनिब्यूरो,जयपुर।
9. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी...............................
10. रक्षित पत्रावली
11. नोटिस बोर्ड भ्रनिब्यूरो मुख्यालय जयपुर।

महानिदेशक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
राजस्थान, जयपुर।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) के अन्तर्गत विभागीय मैन्यूवल

1 विभाग का संगठन, उद्धेश्य एवं कार्य :

भ्रष्टाचार उन्मूलन की राज्य सरकार की घोषित नीति को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार एंव राज्य सरकार द्वारा प्रसारित अधिनियम/आदेश/निर्देश यथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, दण्ड प्रकिया संहिता के तहत प्रदत्त अधिकारों व निर्धारित प्रकियानुसार भ्रष्ट राज्य सेवकों को दण्डित करवाने का महत्वपूर्ण कार्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा किया जा रहा है। ब्यूरो का प्रशासनिक विभाग, गृह विभाग है। ब्यूरो द्वारा मुख्यतः रंगे हाथों रिश्वत लेते पकडे गये लोक सेवकों/राज्य सरकार के फण्ड का दुरूपयोग कर पद का दुरूपयोग कर राज्य सरकार को हानि पहुंचाने एवं भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा आय से अधिक सम्पत्तियाँ अर्जित करने पर, ब्यूरो द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाती है। इसी प्रकार भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्ध शिकायतें मिलने पर शिकायतों की जांच पड़ताल के पश्चात प्राथमिकी दर्ज करने का भी प्रावधान है। प्राथमिकी जाँच से तथ्य सही पाये जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाकर विस्तृत अनुसंधान किया जाता है।

2 कार्य सम्पादन :

उपरोक्त उद्धेश्यों की पूर्ति हेतु भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान द्वारा निम्नांकित कार्य सम्पादित किये जाते है :–

1 भ्रष्ट कर्मचारियों/ अधिकारियों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त होने पर परिवादी को टेप रिकॉर्डर उपलब्ध करवाकर मांगी जाने वाली राशि का सत्यापन करवाया जाता है, तत्पश्चात मांग का सत्यापन सही पाये जाने पर स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में ट्रेप का आयोजन किया जाता है।

2 ट्रेप आयोजन के पश्चात भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का मामला बनने पर नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रधान आरक्षी केन्द्र, जयपुर पर दर्ज की जाती है। तत्पश्चात विधिक प्रावधानों के अनुसार स्वतन्त्र रूप से अनुसंधान करवाकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, एंव अन्य समुसंगत विधिक के तहत आरोप प्रमाणित पाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा स्थापित राज्य के विशिष्ट न्यायालयों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं।

3 इसी प्रकार पद का दुरूपयोग/ आय से अधिक सम्पत्ति के मामलों में भी निष्पक्ष अनुसंधान करवाकर उक्त विशिष्ठ न्यायालयों में आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं।

4 भ्रष्टाचार के आरोपो के संबंध में लोक सेवकों के विरूद्ध शिकायतों की प्राथमिक जाँच कराने का प्रावधान है। ब्यूरो के अधीन चौकियों में परिवादों में जाँच/सत्यापन कार्य कराया जाता है। यदि किसी लोकसेवक के विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों का परिवाद प्रस्तुत होता है, तो उसके विरूद्ध परिवाद में लगाये गये आरोपों की प्राथमिक जाँच करवाकर सत्यापन करवाया जाता है। परिवाद में लगाये गये आरोपों का सत्यापन होने पर ही प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने की कार्यवाही की जाती है, अन्यथा परिवाद के तथ्य मिथ्या अथवा अप्रमाणित पाये जाने की स्थिति में कार्यवाही नस्तीबद्ध कर दी जाती है।

5 ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु सूत्र सूचनाओं के आधार पर भी कार्यवाही की जाकर आय से अधिक संपत्ति के प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किये जाते हैं।

6 इसी प्रकार भ्रष्टाचार के उन्मूलन हेतु समय समय पर आकस्मिक चैकिंग कर भ्रष्टाचार के मामले पाये जाने पर नियमानुसार नियमित अभियोग दर्ज करवाये जाते है।